19/2019

[...]न पुत्र निकुराम जाति मेघवाल निवासी 12 एमएल तहसील पदमपुर जिला [...]नगर

–प्रार्थी–

बनाम्

[...]जिन्द्र सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एमएल तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

[...] गुरजिन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एमएल तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

3. बलराज सिंह पुत्र सरदूल सिह जाति जटसिख निवासी 12 एमएल तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

4. शिवराज सिंह पुत्र सरदूल सिह जाति जटसिख निवासी 12 एमएल तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

5. जितेन्द्र सिंह पुत्र श्याम सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एमएल तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

6. मनजिन्द्र सिंह पुत्र श्याम सिह जाति जटसिख निवासी 12 एमएल तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

–अप्रार्थीगण –

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सत्यमेव जयते पदमपुर (श्रीगंगानगर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए

दिनांकः– 17/01/2020

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि चक 12 एमएल तहसील पदमपुर के खाता सं0 59/49 के मुरबा नं0 5 में 2.024 है0 इसी चक के खाता सं0 74/75 के मुरबा नं0 6 में 0.911 है0 एवं इसी चक के खाता सं0 19/13 के मुरबा नं0 6, 7 में कुल 11.739 है0 रकबा जमाबन्दी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी को अपने रकबा के मुरबा नं0 5 के किला नं0 5, 6, 15, 16 में जाने हेतु रास्ता स्वीकृत है, परन्तु मुरबा नं0 5 के किला नं0 5 में जब मुरबा नं0 6 के रास्ता से प्रवेश करता है तो किला नं0 5 में रास्ता कम छोड़ा हुआ होने के कारण प्रत्येक रोज अप्रार्थीगण के साथ प्रार्थी का विवाद रहता है व इसी प्रकार जब प्रार्थी मुरबा नं0 48 में 49

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज0)

Scanned by CamScanner

...शुदा रास्ता से मुरबा नं0 6 के किला नं0 5 में प्रवेश करता है तो ...को मुरबा नं0 7 के किला नं0 1 व 5 में से जब प्रवेश करता है तो ...रोज अप्रार्थीगण के साथ प्रार्थी का बेवजह विवाद रहता है। इसलिए ...मुरबा नं0 5 के किला नं0 5 में 0.003 है0 व मुरबा नं0 7 के किला नं0 ...0.002 है0 रास्ता मंजूर करवाना चाहता है, क्योंकि शेष रास्ता आवाजाही ...चालू है, परन्तु जब मौड़ आता है,वहां पर रास्ता मंजूर न होने के कारण ...अप्रार्थीगण के कारण विवाद रहता है। जिसके लिए अप्रार्थीगण को मुझ प्रार्थी ...कई बार पंचायती तौर पर व्यक्तिगत तौर पर कहा कि आप इस रासता ...को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवावें, लेकिन अप्रार्थीगण मुझ प्रार्थी के साथ लड़ाई–झगड़ा करने को उतारू हो गये, इसलिए श्रीमान जी. न्यायालय के अलावा मुझ प्रार्थी के पास कोई विकल्प नहीं था। जिसके एवज में कोई भी न्यायालय द्वारा रास्ता स्वीकृत किये जाने बाबत क्षतिपूर्ति आदेश दिये जाते है। प्रार्थी क्षतिपूर्ति अदा करने को तैयार है। दरख्वास्त पेश कर निवेदन है कि चक 12 एमएल के खाता सं0 59/49 के मुरबा नं0 5 के किला नं0 5 में 0.003 है0 व इसी चक के खाता सं0 15/19 के मुरबा नं0 7 के किला नं0 1 में 0.002 है0 एवं इसी मुरबा के किला नं0 5 में 0.002 है में रास्ता मुताबिक नजरी हल्का पटवारी 1 पी.एस. अनुसार स्वीकृत किया जावें तथा राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 ता 6 की ओर से श्री दिनेश कुमार सिहाग अधिवक्ता उपस्थित आकर सहमती का जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र की मद सं0 1 जिस प्रकार से वर्णित की गई है, वह रिकार्ड से सम्बन्धित होने के कारण स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद सं0 2 में वर्णित समस्त तथ्य पूर्ण रूप से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद सं0 3 जिस प्रकार से वर्णित की गई है, वह आंशिक रूप से इस हद तक स्वीकार हैं कि प्रार्थी के पास न्यायालय के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था, परन्तु अब हम अप्रार्थीगण सं0 1 ता 6 प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से पूर्ण रूप से सहमत है। प्रार्थना पत्र की मद सं0 4 कानूनी है। जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 12 एमएल के खाता सं0 59/49 के मुरबा नं0 5 के किला नं0 5 में 0.003 है0 व इसी चक के खाता सं0 15/19 के मुरबा नं0 7 के किला नं0 1 मे 0.002 है0 एवं इसी मुरबा के किला नं0 5 में 0.002 है0 में रास्ता मुताबिक नजरी ... अनुसार स्वीकृत किया जावें तथा राजस्व

(...ष कुमार)
...ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जावें तो हम अप्रार्थीगण पूर्ण रूप से सहमत है और हम अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रकरण में राजीनामा अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसील पदमपुर के चक 12 एमएल के खाता सं0 59/49 के मुरबा नं0 5 के किला नं0 5 में 0.003 है0 व इसी चक के खाता सं0 15/19 के मुरबा नं0 7 के किला नं0 1 मे 0.002 है0 एवं इसी मुरबा के किला नं0 5 में 0.002 है0 में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/01/2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज०)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Kumar
Date: 2020.02.05 15:26:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: